SHRI NEERAJ SHEKHAR (Uttar Pradesh): Sir, I also associate myself with the concern expressed by Shri Harivansh.

SHRI SURENDRA SINGH NAGAR (Uttar Pradesh): Sir, I also associate myself with the concern expressed by Shri Harivansh.

श्री राम नाथ ठाकुर (बिहार): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

श्री राजीव शुक्ल (महाराष्ट्र): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

SOME HON. MEMBERS: Sir, we also associate ourselves with the concern expressed by Shri Harivansh.

श्री नरेश अग्रवाल: सर, अगर एमपीज़ एयरलाइन में कुछ करते हैं, तो एमपीज़ को सारी एयरलाइंस बैन कर देती हैं। जब कर्मचारी ऐसा कर रहा है, तो उसको भी एयरलाइन में नौकरी करने के लिए बैन करना चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: इस सुझाव को ध्यान में रखना चाहिए। श्री विशम्भर प्रसाद निषाद।

Need to bring back the fishermen languishing in the jails in Pakistan

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापति महोदय, मैं शून्य काल में एक महत्वपूर्ण मामले को उठा रहा हूँ। मान्यवर, गुजरात के समुद्री क्षेत्र ओखा से हमारे उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के 21 मछुआरों को पाकिस्तान की नौसेना 9 नवम्बर, 2017 को पकड़कर ले गई है, जो अभी कराची जेल में हैं। वहां उनको तरह-तरह की यातनाएं दी जा रही हैं। चूंकि बुंदेलखंड में वैसे भी सूखा पड़ा है, तो ये गरीब लोग अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए वहां रोजगार की तलाश में गए थे। यह हो सकता है कि वे धोखे से पाकिस्तान के जल-क्षेत्र में चले गए हों या उनको अपने ही जल-क्षेत्र से पाकिस्तान की सेना पकड़कर ले गई हो। मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की जेलों में करीब 500 मछुआरे बन्द हैं और उनको वहां तमाम तरह की यातनाएँ दी जा रही हैं। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार को बताना चाहता हूँ कि वहां की जेलों में जो मछुआरे बन्द हैं, उनकी नौकाएँ भी बन्द हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि ओखा क्षेत्र के जो श्री मनोज मोरी, ठेकेदार हैं, वे इनको वहां लेकर गए थे। वहां ये लोग उनके माध्यम से गए थे। उन लोगों के परिजन परेशान हैं। उनमें से एक की मां को कैंसर हो गया है, जिनको कोई सुनने वाला या देखने वाला नहीं है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो मछुआरे पाकिस्तान की जेलों में बन्द हैं, जिनको पाकिस्तान की सेना ओखा क्षेत्र से पकड़कर ले गई है, उनको रिहा करवाने की कृपा की जाए। मान्यवर, वे बहुत ही गरीब लोग हैं। धन्यवाद।

SHRI NARESH AGRAWAL (Uttar Pradesh): Sir, I associate myself with the issue raised by Shri Vishambhar Prasad Nishad.

श्री आलोक तिवारी (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

श्री रेवती रमन सिंह (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

SHRI RAM KUMAR KASHYAP (Haryana): Sir, I too associate myself with the issue raised by Shri Vishambhar Prasad Nishad.

SHRI NEERAJ SHEKHAR (Uttar Pradesh): Sir, I also associate myself with the issue raised by Shri Vishambhar Prasad Nishad.

SHRI K. K. RAGESH (Kerala): Sir, I also associate myself with the issue raised by Shri Vishambhar Prasad Nishad.

SOME HON. MEMBERS: Sir, we also associate ourselves with the concern expressed by Shri Vishambhar Prasad Nishad.

श्री सभापतिः इसकी एक व्यवस्था होनी चाहिए। जो लोग हाथ उठा रहे हैं, उनके नाम इतने कम समय में नोट करना — हम आगे इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे कि कै से ये सारे नाम रिकॉर्ड में आएँ। इसकी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। ये नोट कर रहे हैं, मगर इतने कम समय में इस तरफ-उस तरफ ...**(व्यवधान)**... ठीक है, आपका नाम भी आ जाएगा। श्री संजीव कुमार जी।

Deaths due to starvation in Jharkhand

श्री संजीव कुमार (झारखंड): महोदय, दिनांक 28 सितम्बर, 2017 को संतोषी कुमारी, ग्राम-कारीमाटी, जिला-सिमडेगा, झारखंड की मौत भूख से हो गई। खाद्य मंत्री, झारखंड का मानना है कि उसकी मौत का जिम्मेवार अप्रैल, 2017 को जारी मुख्य सचिव का विवादास्पद आदेश है, जिसमें उन्होंने राज्य के जिला प्रशासन को आदेश दिया था कि जिन्होंने अपने राशन कार्ड को "आधार" से नहीं जोड़ा है, उसे सस्ता राशन नहीं मिलना चाहिए।

इसी प्रकार, श्री बैद्यनाथ रविदास, निवासी-झरिया, जिला-धनबाद ने दिनांक 21 अक्टूबर, 2017 एवं श्री रूपलाल मरांडी, निवासी–जिला देवघर ने दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 को सस्ता राशन नहीं मिलने के कारण भूख से दम तोड़ दिया। खाद्य मंत्री, झारखंड ने मुख्य सचिव द्वारा अप्रैल, 2017 में जारी आदेश को गैर-जिम्मेदाराना बताया एवं उसे रद्द कर दिया। हाल ही में, UIDAI ने राशन कार्ड को "आधार" से न जोड़ने एवं सस्ता राशन न देने वाले आदेश के खिलाफ जांच का आदेश दिया है।

महोदय, अगर राज्य सभा में मेरे द्वारा उठाए गए मामलों के पिछले रिकॉर्ड को देखा जाए, तो पता चलेगा कि झारखंड में ज्यादातर आई.ए.एस. एवं आई.पी.एस. अधिकारी जमीन घोटाला, भ्रष्टाचार, अपराधियों से सांठ-गांठ आदि आपराधिक मामलों में लिप्त हैं। अभी हाल ही में, दो सप्ताह के अंदर सी.बी.आई. कोर्ट, झारखंड ने एक पूर्व मुख्य सचिव को चारा घोटाला एवं सी.बी. आई. कोर्ट, दिल्ली ने पूर्व मुख्य सचिव, झारखंड को कोल स्कैम में सजा सुनाई है।

महोदय, झारखंड में एक तरफ जहां आदिवासियों एवं वहां के मूल निवासियों की जमीनों के अंदर से कोयला, तांबा एवं अन्य खनिज-सम्पदाएँ निकलती हैं और वे लोग भूख से मर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसके लिए जो सीनियर आई.ए.एस. एवं आई.पी.एस. अधिकारी जिम्मेदार हैं, वे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।